

II

मध्यप्रदेश शासन  
लोक निर्माण विभाग  
मंत्रालय

27/10/16

क्रमांक 5787/6130/2016/19/यो  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 18/10/2016

प्रमुख अभियंता,  
लोक निर्माण विभाग,  
भोपाल

विषय: Contract Management, Dispute Resolution and Arbitration in Highway Projects." विषयक प्रशिक्षण अवधि दिनांक 03 से 07 अक्टूबर 2016 की सूची में आंशिक संशोधन करने बाबत।

- संदर्भ: 1. प्रमुख अभियंता कार्यालय का पत्र क्र. 07/प्र.अ./आई.ए.एच.ई.  
/ट्रे/2016-17/459 भोपाल दिनांक 16.09.2016  
2. प्रमुख अभियंता कार्यालय का पत्र क्र. 07/प्र.अ./आई.ए.एच.ई.  
/ट्रे/2016-17/465 भोपाल दिनांक 23.09.2016  
3. प्रमुख अभियंता कार्यालय का पत्र क्र. 07/प्र.अ./आई.ए.एच.ई.  
/ट्रे/2016-17/469 भोपाल दिनांक 30.09.2016

उपरोक्त संदर्भित पत्रानुसार आई.ए.एच.ई. के वार्षिक केलेण्डर के सरल क्र. 2 पर अंकित "Contract Management, Dispute Resolution and Arbitration in Highway Projects" विषयक प्रशिक्षण अवधि दिनांक 03 से 07 अक्टूबर 2016 हेतु विभाग के निम्न कुल 05 अधिकारियों को प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु आंशिक संशोधन करते हुये कार्योत्तर अनुमति प्रदान की जाती है:-

1. श्री संजय मस्के, अधीक्षण यंत्री, लो.नि.वि. सिवनी मंडल सिवनी
2. श्री आर.एल.भारती, अधीक्षण यंत्री, लो.नि.वि. नौगांव मंडल नौगांव
3. श्री जावेद शकील, कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. संभाग राजगढ़
4. श्री दिलीप बिगोनिया, कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. संभाग अशोकनगर
5. श्री पी.के.जैन, अनुविभागीय अधिकारी, लो.नि.वि. उपसंभाग पिपरिया

सहपत्र:- शून्य

(दीपक असाई)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
म0प्र0 शासन, लोक निर्माण विभाग  
भोपाल, दिनांक

पृ0क्रमांक /6130/2016/19/यो  
प्रतिलिपि:-

डायरेक्टर, भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी (आई.ए.एच.ई.), ए-5,  
सेक्टर/62, एन.एच.-24 बायपास, नोएडा-201309 (यूपी.), इंडिया की ओर। कृपया  
प्रशिक्षण उपरांत विभाग के अधिकारियों हेतु देयक भुगतान हेतु भेजने की व्यवस्था करें।

सहपत्र:- शून्य

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
म0प्र0 शासन, लोक निर्माण विभाग

SE (Finance)  
21/10/16

21/10/16

21/10/16

233574  
21/10/16  
21/10/16